आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)a के तहत

आर०एम० वाद सं०–26 / 2017–18

माधो सिंह गौंझु...विक्रेता

बनाम

लीलम्बर सिंह गौंझु...क्रेता

1/10/22 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। उक्त वाद में विक्रेता एवं क्रेता को इस न्यायालय के ज्ञापांक–1019(ii) / रा० दिनांक–30.09.2022, एवं ज्ञापांक–1078(ii) / रा० दिनांक–10.10.2022, के द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात भी विक्रेता / क्रेता न्यायालय में अनुपस्थित है। विक्रेता माधो सिंह गौंझु पिता–स्व० नन्द सिंह गौंझू, ग्राम–लोटेहातु, पो०–हुमटा, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–विंझिया, पेशा–खेती, एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रामचरण महतो द्वारा इस अनुमति वाद में किसी भी तरह की पैरवी नही की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि विक्रेता / क्रेता को इस अनुमति वाद में किसी प्रकार की कोई अभिरूचि नही है।

अतः ऐसी परिस्थित में उपरोक्त अनुमति की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
लोटेहातु	बुण्डू / 60	56	196	43 डी०

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.10.29 12:13:39 +05:30
Location: 192.168.154.216